न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3270–दो/12 एवं निग0 4449–दो/12 विरूद्ध आदेश दिनांक क्रमशः 17–8–12 एवं 20–11–12 पारित द्वारा नायब तहसीलदार, नसरूल्लागंज, जिला सीहोर प्रकरण क्रमांक 19/अ–6/2011–12.

निगरानी 3270–दो/12

विमल मीना आत्मज शोभाराम मीना,
निवासी ग्राम गोरखपुर तहसील नसरूल्लागंज,
जिला सीहोर म.प्र. ——— आवेदक

विरूद्ध

विजय आत्मज शिवनारायण मीणा
निवासी ग्राम गोरखपुर तहसील थाना
नसरूल्लागंज, जिला सीहोर म.प्र. ——— अनावेदक

निगरानी 4449–दो/12

विजय मीणा आत्मज शिवनारायण मीणा
निवासी ग्राम गोरखपुर तहसील नसरूल्लागंज,
जिला सीहोर म.प्र. ——— आवेदक

विरूद्ध

विमल मीना आत्मज शोभाराम मीना,
निवासी ग्राम गोरखपुर तहसील नसरूल्लागंज,
जिला सीहोर म.प्र. ——— अनावेदक

श्री एल.एस. चौहान, अधिवक्ता, आवेदक की ओर से प्र0क्र0 निग0 3270–दो/12 में एवं अनावेदक की ओर से प्र0क्र0 निग0 4449–दो/12 में ।
श्री यशवंत साहू, अधिवक्ता, अनावेदक की ओर से प्र0क्र0 निग0 3270–दो/12 में एवं आवेदक की ओर से प्र0क्र0 निग0 4449–दो/12 में ।

:: आदेश ::

(आज दिनांक 15-10-2014 को पारित)

ये दोनों निगरानियां नायब तहसीलदार, नसरूल्लागंज द्वारा प्रकरण क्रमांक

19/अ–6/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 17–8–12 एवं 20–11–12 के विरूद्ध म. प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 60 के तहत प्रस्तुत की गई है । दोनों प्रकरणों में विवादित भूमि एक होने, प्रकरणों के तथ्य समान होने एवं उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा एक साथ प्रकरण में तर्क किए जाने के कारण इन दोनों प्रकरणों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक/आवेदक विजय आत्मज शिवनारायण मीणा द्वारा पंजीकृत विक्रयपत्र के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन पेश किया गया जिसका विरोध आवेदक/अनावेदक विमल कुमार द्वारा किया गया । प्रकरण में कार्यवाही के दौरान विजय मीणा द्वारा विक्रयपत्र एवं उससे संबंधित दस्तावेजों पर अनावेदक के अंगूठा निशानी की जांच फिंगर प्रन्ट विशेषज्ञ से कराने बावत आवेदन दिया जो विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया । दिनांक 17–7–12 को विमल मीणा द्वारा विचारण न्यायालय में संहिता की धारा 32 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य आदे । द्वारा स्वीकार किया एवं अपने पूर्व के फिंगर प्रिन्ट विशेषज्ञ से जांच कराने के निर्देश का निरस्त किया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक विमल मीणा द्वारा इस न्यायालय के समक्ष निगरानी कमांक 3270–दो/12 पेश की गई है ।

उक्त आदेश के उपरांत अनावेदक/आवेदक विमल मीणा द्वारा व्यवहार वाद कमांक 21–ए/12 दिनांक 6–9–12 को प्रस्तुत किए जाने की जानकारी अधीनस्थ न्यायालय में दिए जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत अंतरिम आदेश दिनांक 20–11–12 द्वारा प्र नाधीन भूमि के विक्रय पत्र की विधिमान्यता को सिविल न्यायालय में चुनौती दिए जाने के कारण सी.पी.सी. की धारा 10 के तहत प्रकरण की कार्यवाही स्थगित करते हुए यह कहा गया कि तीन माह की अवधि में निर्णय न होने पर प्रकरण समाप्त किये जाने के आदे । दिये गये हैं । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक/अनावेदक विजय मीणा आत्मज श्री शिवनारायण मीणा द्वारा इस न्यायालय के समक्ष निगरानी कमांक 4449–दो/12 पेश की गई है ।

3/ प्रकरण में सुनवाई दिनांक 25–6–14 को दोनों प्रकरणों में आवेदक/अनावेदक विमल मीणा के अधिवक्ता को 15 दवस में लिखित तर्क पेश करने के निर्देश दिए गए थे किंतु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित बहस पेश नहीं की गई है ।

4/ अनाावेदक/आवेदक विजय मीणा के अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 17–8–12 को उचित बताया गया तथा आदेश दिनांक 20.11.12 के संबंध

में कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को अनदेखा किया है क नामांतरण की संक्षिप्त प्रक्रिया है । विधि का यह मान्य सिद्धांत है कि पंजीकृत विक्रय विलेख के आधार पर राजस्व न्यायालय को नामांतरण करना चाहिए । वरिश्ठ न्यायालय या सिविल न्यायालय से स्थगन आदेश के अभाव में प्रकरण स्थगित नहीं किया जा सकता । यह भी कहा गया कि अनावेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण स्थगित किए जाने हेतु आवेदन नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश त्रुटिपूर्ण है ।

5/ अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा आलोच्य आदेशों का परिशीलन किया गया । यह प्रकरण दस्तावेज के आधार पर नामांतरण के संबंध में है । जहां तक अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 17–8–12 का प्रश्न है प्रकरण में जो विक्रयपत्र है उसको विक्रेता द्वारा चुनौदी दी गई है और उसमें अपने अंगूठा नि ानी की हस्ताक्षर विशेषज्ञ से जांच करने का निवेदन किया गया है । प्रकरण में नायब तहसीलदार ने न्यायदृष्टांत 1998 आर.एन. 240 का उल्लेख अपने आदेश में किया है जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि जाली विक्रयपत्र बताने पर राजस्व न्यायालय को उसको विनिश्चय करने की अधिकारिता है और व्यथित व्यक्ति सिविल वाद भी संस्थित कर सकता है । उक्त न्यायदृष्टांत को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 17–8–12 को पारित आदेश उक्त निर्णय की वैध प्रक्रिया के विरूद्ध है । क्योंकि राजस्व न्यायालयों को जो अधिकारिता है उस स्थिति में जब हस्ताक्षर विशेषज्ञ से जांच करने का निवेदन स्वीकार किया था तब बिना किसी समुचित आधार के मात्र इस आधार पर कि 1 वर्ष में व्यवहार वाद संस्थित नहीं किया है अनावेदक के आवेदन को स्वीकार करना विधिसम्मत नहीं है ।

6/ जहां तक अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 20–11–12 का प्रश्न है अधीनस्थ न्यायालय ने यह मानकर कि प्रश्नाधीन दस्तावेज की विधिमान्यता को सिविल न्यायालय में आक्षेपित किया गया है और इसी बिंदु पर पूर्व में फिंगर प्रिंट जांच संबंधी कार्यवाही निरस्त करने के बिंदु पर राजस्व मंडल में निगरानी प्रचलित है और उन्होंने यह मानकर की प्रकरण में प्रत्यक्षतः और सारतः दस्तावेज की कूटरचना का विवाद्य प्रारंभतः विद्यमान रहा है और इन पर अनुतोष देने की अधिकारिता वरिष्ठ न्यायालयों को है इस कारण उन्होंने सी0पी0सी0 की धारा 10 के तहत उनके समक्ष प्रचलित प्रकरण की कार्यवाही को स्थगित किया है और आदेश में यह लेख किया है कि 3 माह की अवधि में सिविल न्यायालय से निर्णय न होने पर प्रकरण समाप्त कर दिया जायेगा । व्यवहार न्यायालय से 3 माह में प्रकरण निपटारे की अपेक्षा विचारण न्यायालय नहीं कर सकता ।

अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे संहिता के प्रावधानों के अनुसार और यदि उभयपक्ष से व्यवहार न्यायालय में प्रस्तुत किए गए व्यवहार वाद में हुए अंतरिम/अंतिम आदेश की प्रति पक्षकारों द्वारा पेश की जाती है तो उसको दृष्टिगत रखते हुए तथा उभयपक्षों को सुनवाई एवं अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर देकर प्रकरण का विधिवत निराकरण करें ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर